

# पर्चा डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपायुक्त अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)

अहमद अलिमनीगा (आर.ए.एस.).....

इलियाज पुत्र ताल मोहम्मद जाति काजी निवासी मौहल्ला तेलियान कस्बा फतेहपुर  
जिला सीकर

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का कस्बा फतेहपुर जिला सीकर

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत संशोधन राजस्व नक्शा ट्रेस

मुकदमा नं. 72.....सन् 2019.....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....मेरे.....

व हाजिरी...श्री मुकेश भातरा एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दई रुबरू.....श्री मनजानिब  
मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 1445 रकबा  
2.6300 है. पुराना खसरा नम्बर 1085/1 रकबा 2.6300 है. के नवीन नक्शा ट्रेस में जहां  
खसरा नम्बर 1446/2338 किया गया है उक्त भू भाग को पूर्ववत खसरा नम्बर 1445  
(पुराना खसरा नम्बर 1085/1) का भू भाग मान्य किया जाकर दुरुस्त किया जाता है।  
खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....-.....मुबलिंग.....-.....बाबत.....-

खर्चा इस मुकदमें के मय शूद बशरह.....-.....फीसदी सालाना आज की तारीख से  
तरीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....28.....माह .....सितम्बर.....सन् 2020 को  
जारी की गई।



दस्तखत.....  
ओहदा.....  
फतेहपुर (सीकर)



वर्ग	रुपया	पैसा	मुद्दयलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			—	

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।



उपखण्ड अधिकारी  
फतेहपुर (सीकर)